



# सरकारी गजेट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 फरवरी, 2003

फाल्गुन 8, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग--3

संख्या 734/नौ-3--2003-18 डब्लू-88 टी० सी०-०१

लखनऊ, 27 फरवरी, 2003

अधिसूचना

प० आ०--123

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 27-क के साथ पठित धारा 96 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा  
(संशोधन) नियमावली, 2003

- 1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी।
- (2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त जल संस्थानों पर लागू होगी।
- (3) यह शासकीय गजेट प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

संक्षिप्त नाम,  
प्रसार और  
प्रारम्भ

नियम 21 के  
उपनियम (1)  
में संशोधन

2--उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) से  
नियमावली, 1996 में, नियम 21 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के  
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम निम्न प्रकार से रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान नियम 21 उपनियम (1) पदोन्नति]

एतद्वारा यथा प्रतिस्थापित नियम 21  
उपनियम (1) पदोन्नति

पदोन्नति द्वारा भर्ती, एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पदक्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से, ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों की एक पात्रता सूची उपनियम (2) में दी गयी रीति में तैयार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती, एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पदक्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से, ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त को स्वीकार करते हुए, की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों की एक पात्रता सूची उपनियम (2) में दी गयी रीति में तैयार की जायेगी।

परन्तु किसी महाप्रबन्धक या नगर अभियन्ता (जल) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 734/IX-3—2002-18 W-88 T.C. 1, dated February 27, 2003.

No. 734/IX-3—2002-18 W-88 T.C. 1

Dated Lucknow, February 27, 2003

In exercise of the powers under section 96 read with section 27 A of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U. P. Act no. 43 of 1975) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralised) Services Rules, 1995.

THE UTTAR PRADESH PALIKA AND JAL SANSTHAN  
WATER ENGINEERING (CENTRALISED) SERVICES  
(AMENDMENT) RULES, 2003

Short title,  
scope and  
commencement

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralised) Services Rules, 2003.
- (2) They shall be applicable to all the Jal Sansthans in Uttar Pradesh.
- (3) They shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment  
in sub-rule (1)  
of rule 21

2. In the Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralised) Service Rules 1996, in rule 21, for the existing sub-rule (1) set out in Column-1 below the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :—

Column-I

Column-II

Existing sub rule

Sub-rule as hereby substituted

Rule 21 (1) Recruitment by promotion shall be made through a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst all eligible officers of the next lower grade of the same centralised service and for this purpose an eligibility list of officers shall be prepared in the manner laid down in sub-rule (2).

Rule 21 (1) Recruitment by promotion shall be made through a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst all eligible officers of the next lower grade of the same centralised service and for this purpose an eligibility list of officers shall be prepared in the manner laid down in sub-rule (2).

Provided that recruitment by promotion to the post of a General Manager or Nagar Abhiyanta (Jal) shall be on the basis of merit.

By order,

ATUL KUMAR GUPTA,

Pranukh Sachiv.